



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट- थाना मण्डावर

दिनांक 02.12.2025

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 257/25 धारा 108 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्ताओं
को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.2025 वादी श्री अमर सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम शिकोहाबाद थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. शोभा पत्नी लोकेश 2. लोकेश पुत्र वीरपाल निवासीगण ग्राम ब्रह्मपुरी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3. सुक्की पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र सुमेर सिंह निवासीगण ग्राम सफीपुर नंगली थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिससे वादी की पुत्री ने स्वयः जहर पीकर आत्महत्या कर ली।



प्राप्त तहरीर के सम्बन्ध में मु0अ0स0 257/25 धारा 108 बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्ता शोभा आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ताओं 1. शोभा पत्नी लोकेश निवासी ब्रह्मपुरी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2. सुक्की पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सफीपुर नंगली थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के नाम व पता –

1. शोभा पत्नी लोकेश निवासी ब्रह्मपुरी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. सुक्की पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सफीपुर नंगली थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2. म0उ0नि0 श्रीमती प्रेरणा यादव थाना मण्डावर बिजनौर।
3. म0हे0का0 776 रेनू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
4. म0का0 331 भावना थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
5. का0 1075 अजीत कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना रेहड

दिनांक 02.12.2025

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 91/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से
संबंधित 02 अभियुक्तगणों को चोरी किये गये माल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.12.2025 को वादी श्री फईम अहमद पुत्र शोकीन निवासी चांदपुर उदयपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर सोना, चांदी व 5000/-रुपये नगद की चोरी कर ली गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0स0 91/2025 धारा 305(A)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. जीशान पुत्र रियाजुद्दीन 2. मौ0 शाहिद उर्फ साहिब पुत्र खुर्शी निवासीगण ग्राम उदयपुर उर्फ चांदपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर को चोरी किये गये सामान (02 जोड़ी बड़ी पायल सफेद धातु की, एक जोड़ी छोटी पायल सफेद धातु की, एक ताबीज गले का सफेद धातु का, एक गले का हार पीली धातु की एव 2020 रु0/- नकद बरामद) सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए धारा 324(4) बीएनएस का लोप किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण जीशान व मौ0 शाहिद उर्फ साहिब उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 27/28.11.2025 की रात्रि में उन्होंने अपने मोहल्ले के फईम के घर का ताला तोड़कर अलमारी से चोरी की थी। चोरी में उन्हें तीन जोड़ी चांदी की पायलें (छोटी-बड़ी), एक चांदी की कंठी/ताबीज, एक सोने का हार तथा ₹5000/- मिलो। बरामद की गई सभी वस्तुएँ व शेष रुपये वही हैं जो उन्होंने चोरी में प्राप्त किए थे तथा शेष रुपये दोनों ने खाने-पीने में खर्च कर दिए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

- जीशान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम उदयपुर उर्फ चांदपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर
- मौ0 शाहिद उर्फ साहिब पुत्र खुर्शी निवासी ग्राम उदयपुर उर्फ चांदपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

- 02 जोड़ी बड़ी पायल (सफेद धातु)
- 01 जोड़ी छोटी पायल (सफेद धातु)

3. 01 ताबीज गले का (सफेद धातु)

4. 01 गले का हार (पीली धातु)

5. 2020 रु0/- नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर ।

2.का0 1182 राजन थाना रेहड जनपद बिजनौर ।

3.का0 19 केशव थाना रेहड जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नगीना देहात

दिनांक 02.12.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-257/2025 धारा 137(2)/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने भाई अंकित पुत्र ब्रह्मपाल की सहायता से अपने साथ ले गया है जिसका विरोध करने पर वादी के साथ गाली गलौच कर मारने की धमकी दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0-257/2025 धारा 137(2)/87/352/351(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की अपहर्ता को सकुशल बरामद कर लिया गया है ।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सोनू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- उ0नि0 श्री मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- म0का0 2186 कोमल थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना स्योहारा

दिनांक 02.12.2025

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 425/2025 धारा 137(2)/87/64(1)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिरो से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.11.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रवि कुमार पुत्र स्व0 योगेन्द्र सैनी 2.सनुज पुत्र सुन्दर निवासीगण ग्राम मुर्तजानगर उर्फ गंगाधरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ,वादी की नावालिंग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गये हैं ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 425/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 87/64(1)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र स्व0 योगेन्द्र सैनी निवासी ग्राम मुर्तजानगर उर्फ गंगाधरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रवि कुमार पुत्र स्व0 योगेन्द्र सैनी निरो ग्राम मुर्तजानगर उर्फ गंगाधरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- उनिरो श्री असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- का0 129 कुलदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 02.12.2025

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 414/2025 धारा 305(A)/331(4)/317(2) बीएनएस
से संबंधित अभियुक्त को चोरी किये गये माल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.10.2025 को वादी विनित कुमार पुत्र रामकुमार निवासी न्यू राम गंगा कालौनी जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वा रा उसके शोरूम से एक एलसीडी(सोनी कम्पनी) व एक डिजिटल घड़ी चोरी कर ली गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 414/2025 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 02.12.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी मौ0 साहुवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये सामान एक एलसीडी(सोनी कम्पनी) व 1000/-रुपये सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

सुमित कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी मौ0 साहुवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1.एक एलसीडी(सोनी कम्पनी)

2.नगद 1000/-रुपये

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 516/2020 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर बिजनौर

2.मु0अ0स0 414/2025 धारा 305(A)/331(4)/117(2) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री साजिद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 723 शिव कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4.का0 1936 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर

5.का0 1687 शराफत अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर

6.का0 2514 अभिषेक थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 02.12.2025

ओवर हाईट गन्ना भरकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशनुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर, के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ओवर हाईट गन्ना भरकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग की गयी चैकिंग के दौरान ओवर हाईट गन्ना भर कर चलने वाले **07** वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही गयी जिसमें **05** वाहनों के चालान किये **02** वाहनों को फिटनेश प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र पूर्ण न होने पर सीज किया गया एवं **01** वाहन के विरुद्ध पायदान पर सवारी खड़ा करने ले जाने पर चालान की कार्यवाही की गयी । अन्य वाहन चालकों को जागरूक किया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखते हुये ही अपने वाहनों का संचालन करें । वाहनों में ओवर हाईट गन्ना भर कर वाहन न चालायें ।

